न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 96/2020 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2020/00099**

01 सतपाल सिंह पुत्र श्री बलबीर, जाति नायक, निवासी गांव व पो.ऑ. हाकमाबाद, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. बद्रीचन्द पुत्र लालूराम, जाति नायक, निवासी गांव व पो.ऑ. हाकमाबाद, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।
2. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री विजय पारीक अभिभाषक अपीलांट
राजकीय अभिभाषक अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2

निर्णय

दिनांक 23.12.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अति0 जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 20.09.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बद्रीचन्द पुत्र श्री लालूराम जाति जायक ने चक 2 जी.डी.एम.एम के मुरब्बा नंबर 58 के किला नंबर 1 ता 25 कुल 25 बीघा नहरी भूमि को वर्ष 1980 को आवंटन करवाया। उक्त आवंटन के विरूद्ध अपीलांट ने धारा 11–14 राजस्थान उपनिवशन अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के धारा 11–14 के प्रार्थना–पत्र को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 20.09.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि आवंटी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने तथ्य छुपाकर अवैध रूप से अपीलाधीन भूमि का

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आवंटन उपनिवेशन नियमों के तहत करवाया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सन 1976 से सरकारी नौकरी में थां अध्यापाक के पद पर था अधीनस्थ न्यायालय में तमाम प्रमाण पेश कर दिये थे। रेस्पोडेन्ट स्वंय ने एडमिट किया है कि वह भूमि आवंटन से पूर्व से सरकारी नौकरी में था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने तथ्य छुपाकर भूमि आवंटन करवाया है। रेस्पोडेन्ट की आय का मुख्य स्त्रोत सरकारी नौकरी था। रेस्पोडेन्ट का पेशा खेती नहीं था। उपनिवेशन नियमों के तहत भूमि हीन एवं पेशा काश्तकार को ही भूमि आवंटन होता है प्रार्थना–पत्र में गलत अंकन करके कि पेशा खेती नही है, भूमि आवंटन करवाया था जो सर्वथा अवैध है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि भूमि आवंटन गलत हुआ है लेकिन खातेदारी मिल चुकी है और आवंटन हुए 30 वर्ष हो चुके है इसलिए आवंटन निरस्त नही किया। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय है कि अगर भूमि का आवंटन तथ्य छुपाकर प्राप्त किया है तो खातेदारी मिलने के पश्चात भी भूमि आवंटन खारिज किया जा सकता है। समय सीमा की कोई पावंदी नही होती है। इसके संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी 2002 पेज 1, आर.आर.डी 2002 पेज 151 एवं आर.आर.डी 2009 पेज 129 प्रस्तुत किए। उपरोक्त नजीरों के आधार पर खातेदारी भूमि खारिज की जा सकती है। सरकारी कर्मचारी था, भूमि आवंटन अवैध हुआ है तथ्य छुपाकर भूमि आवंटन करवाया गया था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.09.2017 को अपास्त किया जाकर अपीलांट का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 11, 14 उपनिवेशन अधिनियम स्वीकार कर रेस्पोंडेन्ट को आवंटित की गई भूमि निरस्त करने के आदेश प्रदान किये जावें।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त वादगत भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने पुख्ता आवंटन का प्रार्थना–पत्र हेतु जब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया उस समय आवंटी सरकारी नौकरी में नही था परन्तु जब आवटंन हुआ तक वह सरकारी नौकरी में था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में द्वारा विभिन्न निर्णयों में प्रतिपादित सिद्वांतो के अनुसरण में अप्रार्थी बद्रीचन्द को लगभग 34 वर्ष पुर्व हुए आवंटन को निरस्त नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जावें।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 20.09.2017 के द्वारा आवंटी बद्रिचन्द को आवंटित भूमि चक 2 जीडीएसएम के मुरब्बा नंबर 58 के किला नंबर 1 ता 25 कुल 25 बीघा भूमि का किया गया आवंटन बहाल रखा। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में विवेचन कर साबित किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बद्रिचन्द को रकबा दिनांक 02.02.1983 को आवंटन हुआ और आवंटी उससे पूर्व ही सरकारी नौकरी में नियुक्त हो गया था और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 3 बीघा विरास्तन भूमि भी प्राप्त हुई जिसकी जानकारी आवंटन के समय अपने धारण की भूमि की सत्य सूचना आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नही की है। आवंटी ने तथ्यों को छुपाकर वादगत भूमि का आवंटन करवाया है। उक्त बिन्दु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने उपनिवेशन अधिनियम की धारा 14 उपनिवेशन अधिनियम की पालना नहीं की है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ को अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.09.2017 को निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ को उक्त प्रकरण में संबंधित सभी पक्षों को सुनकर एवं पूर्ण जांच कर विधिसम्मत आदेश पारित करें।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर